न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

आपूर्ति अपील वाद संख्या–07/2009–10

18/2013

विपिन कुमार पासवान

बनाम

राज्य (अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
06-09-2016	**आदेश** प्रस्तुत अपील विपिन कुमार पासवान पिता–विष्णुदेव पासवान, ग्राम–सैदपुर, थाना–मानसी, जिला–खगड़िया के आवेदन दिनांक 12.03.2013 से अंगीकृत है। अपीलार्थी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक–59/आ0, दिनांक 12.02.2009 से निर्गत उनकी अनुज्ञप्ति रद्द करने के आदेश को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश में अंकित है कि विज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई विक्रेता द्वारा अक्टूबर 2008 से फरवरी 2009 तक अन्त्योदय/बी0पी0एल0 योजना अंतर्गत खाद्यान्न उठाव हेतु बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं किये जाने के आधार पर की गयी है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के प्रश्नगत आदेश को हित विरूद्ध मानते हुए अनुज्ञप्ति पुर्नजीवित किये जाने का अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अपालार्थी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बना ड्राफ्ट संख्या–35496 दिनांक 11.02.2009 ड्राफ्ट संख्या–35494 दिनांक 07.02.2009, ड्राफ्ट संख्या–354884 दिनांक 02.02.2009 एवं ड्राफ्ट संख्या–354885 दिनांक 02.02.2009 जो अनाज उठाव के लिए बिहार स्टैट फूड एवं सिविल सप्लाई कॉरपोरेश लिमिटेड के पक्ष में निर्गत है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी हेपेटाईटिस–ए की इलाज करने हेतु डॉ0 मनमोहन कमार सिंह, बलिया चले गए थे। सरकारी विज्ञ अधिवक्ता ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि अपीलार्थी का आवेदन तर्क संगत नहीं है। अपीलार्थी बिना अवकाश प्राप्त किए ईलाज कराने हेतु बाहर चले गए। चिकित्सक के प्रमाण पत्र में लम्बे दिनों तक आराम करने का सलाह अंकित नहीं है। विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश सही है तथा अपील खारिज करने योग्य है। दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता के तर्को को सुनने के पश्चात निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख में अपीलार्थी द्वारा अपरिहार्य कारण से अवकाश में जाने की कोई सूचना नहीं है। अपीलार्थी द्वारा तीन माह के खाद्यान्न उठाव हेतु बैंक ड्राफ्ट	

Received for ... 22/10/2016

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3
	जमा नहीं किये जाने का भी औचित्य प्रदर्शित नहीं है।	

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा दुकान संचालन में गंभीर लापरवाही बरती गयी है तथा खाद्यान्न वितरण नहीं करने से चिन्हित समूह को हुई कठिनाई का ध्यान नहीं रखा गया है। मनमाने तरीके से दुकान के संचालन से सरकार की लाभकारी योजना प्रभावित होती है। कार्रवाई की आशंका में विक्रेता द्वारा बैंक ड्राफ्ट जमा किया गया है, जो संदर्भित अवधि के बाद का है।

अपीलार्थी के दृष्टिकोण से न्यायालय संतुष्ट नहीं है। इस तरह अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील अस्वीकृत किया जाता है तथा अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक–59/आ0, दिनांक 12.02.2009 को यथावत रखा जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया

जिला दण्डाधिकारी
खगड़िया

डी0बी0......08 (स्था0)....../विधि, दिनांक......6-9-2016......

प्रतिलिपि :–अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आदेश की प्रति, जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

6/9/2016
प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा,
खगड़िया।